सं0 सं0 14/एम 11–2/19
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी, गुड़गांव,
सेक्टर–38, हरियाणा,
पीन–122 001

पटना, दिनांक.....

विषयः– **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष"** के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **06.3.19** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	अरविन्द कुमार सिंह पिता–स्व0 अवधेश सिंह ग्राम–लक्ष्मी निवास गाय घाट पो0–गुलजारबाग थाना–आलमगंज जिला–पटना	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अनिल कुमार सिंह पिता–स्व0 रामचन्द्र सिंह ग्राम–इनडाम प्रोफेशर कालोनी पो0+थाना+जिला शेखपुरा	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,00,000/–	

2. उक्त अनुदानं की कुल राशि 4,00,000/–(चार लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 875347 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **000380200000292,** खाता धारक का नाम– **ग्लोबल हेल्थ प्रा0 लि0, पेयबल– दिल्ली/गुड़गांव,** खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–**यश बैंक लि0,** शाखा का नाम–, RTGS/IFSC कोड सं0 YESB0000003 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छदम नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा **अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 आर0 डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...875347...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/–
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 539 (H) पटना, दिनांक 14/3/19

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों/आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/19
निदेशक प्रमुख